

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)  
दीर्घासीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

रजू दिनांक  
12.03.2018

निर्णय दिनांक  
29.05.2023

सनमान

1. मैसर्स सोप्टलिक मरचंदाईजिंग सर्विस प्रा०लि० एन-14 लोवर ग्राउण्ड फ्लॉर मालवीय नगर नई दिल्ली जरिये अधिकृत हरीमोहन झा पुत्र अनन्तनारायण झा जाति ब्राहमण नि० 160 डी मोतीवार चौपाल के उपर मुनीरका विपेज दिल्ली। वादी।

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना।
2. ताराचन्द
3. राजेन्द्र
4. रामेश्वर पुत्रान सोहन
5. विमला पुत्री सोहन
6. भानीसहाय पुत्र हबला
7. शकुंतला पत्नी अमरसिंह
8. यशपाल
9. नवल पुत्रान अमरसिंह
10. संतो
11. मणी
12. बसूबाला
13. मनु पुत्रीयान अमरसिंह
14. भूपन्द्र पुत्र जयराम उर्फ जागेराम सभी जाति कुम्हार नि० ग्राम कुतीना तह० नीमराना जिला अलवर राज०।
15. सुबोध यादव पुत्र अजीत जाति अहिर नि० 238 कापासेडा गांव चतुर्भुज मार्ग दिल्ली।
16. रमेशस कुमार पुत्र केदारनाथ जाति महाजन नि० 6/69 डबल्यू ई०ए० नई दिल्ली। प्रतिवादीगण।

दावा अंतर्गत धारा 53,188 आर०टी०एक्ट०

- उपस्थिति:- 1. श्री मकरध्वज शर्मा अधिवक्ता वादी की ओर से।  
2. प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षिय कार्यवाही।

—::निर्णय::—

प्रभावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृत्तांत निम्न प्रकार से है-

1. वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया की आराजी ख०नं० हाल 289/0.72, 290/0.44, 300/0.22, 365/1.54 वाके ग्राम बटाना तह.नीमराना में स्थित है जो वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की विना वंडी आराजी है जिसपर मौके पर सामलात में काश्त किया जाना संभव नहीं है मिन वादी ने दिनांक 02.08.2018 को प्रतिवादीगण से अपने अपने हिस्से का तकासमा कराने के लिए कहा तो उन्होंने कहा की न्यायालय में तकासमा का वाद पेश करो तथा हम मौके पर कब्जा के अनुसार तकासमा करानक लिए तैयार है इसलिए वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. अंत में वरादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिकी किये जाने की प्रार्थना की है:-



2	ताराचन्द, राजेन्द्र, रामेश्वर पि० सोहन सं०भा० हि० 313/1053, विमला पुत्री सोहन हि० 313/5265, शकुंतला पत्नी अमरसिंह, यशपाल, नवलसिंह पुत्र अमरसिंह, सन्तो, मणी, वसूबाला व मनू पुत्री अमरसिंह हि० 313/3510, भूपेन्द्र पुत्र जयराम उर्फ जागेराम हि० 626/1755 कुम्हार सा० कुतीना, रमेश कुमार पुत्र केदार हि० 77/390 जाति महाजन नि० 6/69 डबल्यू ई०ए० नई दिल्ली खातेदार राहिन हि० भूपेन्द्र पुत्र जयराम उर्फ जागेराम पी०एन०बी० शाखा कुतीना मुर्तहन	365/2 365 किता 2	0.40 है० 0.90 है० कुल रकबा 1.30
3	ताराचन्द, राजेन्द्र, रामेश्वर ति० सोहन सं०भा० हि० 25/81, विमला पुत्री सोहन हि० 5/81, भानीसहाय पुत्र हबला हि० 1/12, शकुन्तला पत्नी अमरसिंह, यशपाल, नवलसिंह पुत्र अमरसिंह, सन्तो, मणी, वसूबाला व मनू पुत्री अमरसिंह हि० 5/54, भूपेन्द्र पुत्र जयराम उर्फ जागेराम हि० 10/27 कुम्हार सा० कुतीना, सुबोध यादव पुत्र अजीतसिंह हि० 1/12 कौम अहीर सा० 238 कापासेहडा गाँव राव चतुर्भुज मार्ग दिल्ली खातेदार राहिन हि० भूपेन्द्र पुत्र जयराम उर्फ जागेराम पी०एन०बी० शाखा कुतीना मुर्तहन	289 290 300 किता 3	0.72 है० 0.44 है० 0.22 है० कुल रकबा 1.38

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक खाता व लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में कमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे।  
यदि किसी प्रकार की दिक्की जारी हो पत्रावली फौसलसुमार होकर दाखिल लेख भंडार हो।  
यदि निर्णय आज दिनांक 29.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में  
दस्तावेज भेजा गया।

29/5/2023  
मुकट सिंह (आर.एस.)  
उप-सुपड अधिकारी एवं  
नीमराना (अलिबर)  
पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठारीन अधिकारी :- गुफुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या  
28/2018

रजू दिनांक  
12.03.2018

निर्णय दिनांक  
29.05.2023

उनवान

1. मैसर्स सोप्टलिक मरचंदाईजिंग सर्विस प्रा०लि० एन-14 लोवर ग्राउण्ड फलॉर मालवीय नगर नई दिल्ली जरिये अधिकृत हरीमोहन झा पुत्र अनन्तनारायण झा जाति ब्राहमण नि० 160 डी मोतीवार चौपाल के उपर मुनीरका विपेज दिल्ली। वादी।

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना।
2. ताराचन्द
3. राजेन्द्र
4. रामेश्वर पुत्रान सोहन
5. विमला पुत्री सोहन
6. भानीसहाय पुत्र हबला
7. शकुंतला पत्नी अमरसिंह
8. यशपाल
9. नवल पुत्रान अमरसिंह
10. संतो
11. मणी
12. वसूवाला
13. मनू पुत्रीयान अमरसिंह
14. भूपन्द्र पुत्र जयराम उर्फ जागेराम सभी जाति कुम्हार नि० ग्राम कुतीना तह नीमराना जिला अलवर राज०।
15. सुबोध यादव पुत्र अजीत जाति अहिर नि० 238 कापासेडा गांव चतुर्भुज मार्ग दिल्ली।
16. रमेशस कुमार पुत्र केदारनाथ जाति महाजन नि० 6/69 डबल्यू ई०ए० नई दिल्ली। प्रतिवादीगण।

दावा अंतर्गत धारा 53,188 आर०टी०एक्ट०

- उपस्थिति:- 1. श्री मकरध्वज शर्मा अधिवक्ता वादी की ओर से।  
2. प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षिय कार्यवाही।


पर्चा डिक्री

दिनांक- 29.05.2023

वाद वादी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत तकासमा आराजी मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट एक पक्षिय डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी वाके ग्राम बटाना तह.नीमराना उनके कब्जे काश्त खातेदारी में निम्नानुसार रहेगी :-

क्र०सं०	नाम खातेदार	खसरा नं०	रकबा	विवि
1	मैसर्स सोप्टलिक सर्विस मरचंदाईजिंग प्रा०लि० एन-14 लोवर ग्राउण्ड फ्लॉर मालवीय नगर नई दिल्ली जरिये अधिकृत हरीमोहन झा पुत्र अनन्तनारायण झा जाति ब्राहमण नि० 160 डी मोतीवार चौपाल के उपर मुनीरका विपेज दिल्ली।	365 / 1	0.24 है०	
2	ताराचन्द्र, राजेद्र, रामेश्वर पि० सोहन सं०भा० हि० 313/1053, विमला पुत्री सोहन हि० 313/5265, शकुंतला पत्नी अमरसिंह, यशपाल, नवलसिंह पुत्र अमरसिंह, सन्तो, मणी, वसूबाला व मनू पुत्री अमरसिंह हि० 313/3510, भूपेन्द्र पुत्र जयराम उर्फ जागेराम हि० 626/1755 कुम्हार सा० कुतीना, रमेश कुमार पुत्र केदार हि० 77/390 जाति महाजन नि० 6/69 डबल्यू ई०ए० नई दिल्ली खातेदार राहिन हि० भूपेन्द्र पुत्र जयराम उर्फ जागेराम पी०एन०बी० शाखा कुतीना मुर्तहन	365/2 365 किता 2	0.40 है० 0.90 है० कुल रकबा 1.30	
3	ताराचन्द्र, राजेन्द्र, रामेश्वर ति० सोहन सं०भा० हि० 25/81, विमला पुत्री सोहन हि० 5/81, भानीसहाय पुत्र हबला हि० 1/12, शकुन्तला पत्नी अमरसिंह, यशपाल, नवलसिंह पुत्र अमरसिंह, सन्तो, मणी, वसूबाला व मनू पुत्री अमरसिंह हि० 5/54, भूपेन्द्र पुत्र जयराम उर्फ जागेराम हि० 10/27 कुम्हार सा० कुतीना, सुबोध यादव पुत्र अजीतसिंह हि० 1/12 कौम अहीर सा० 238 कापासेहडा गाँव राव चतुर्भुज मार्ग दिल्ली खातेदार राहिन हि० भूपेन्द्र पुत्र जयराम उर्फ जागेराम पी०एन०बी० शाखा कुतीना मुर्तहन	289 290 300 किता 3	0.72 है० 0.44 है० 0.22 है० कुल रकबा 1.38	

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक खाता व लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अनलदरानद किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। प्रवाली फैसलसुनार होकर दाखिल लेख भंडार हो। सुनाया गया।

  
29/5/23

मुकुट सिंह (आपरा पत्र)  
उप सहायक अधिकारी  
नीमराना (अलवर) व  
पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना